

**GOVERNMENT OF BIHAR**  
**URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING DEPARTMENT**

From,

Sanjay Dayal, IRSS  
Special Secretary,  
Urban Development & Housing Department,  
Bihar, Patna.

To,

Ms. Archana Mittal,  
Director (UPA),  
Ministry of Housing & Urban Affairs,  
UPA Division, Nirman Bhawan, New Delhi

Dated- 26/12/17

**Sub:- Request for Release of Funds under DAY-NULM for Financial year 2017-18.**

**Ref.:- Letter No-G24011/1/2016-UPA (FTS 15086) dated June 2, 2017.**

Dear Madam,


With reference to the subject cited above, we are pleased to submit following documents required for releasing first installment of allocated funds to the State of Bihar under DAY-NULM.

- I. Copies of the Audited Financial Statements for the F.Y- 2015-16 and 2016-17
- II. Utilization Certificate in GFR - 19A for F.Y- 2015-16 and 2016-17
- III. Copy of Allotment Letter as a proof of release of State Share.

You are requested to release the first installment allocated under DAY-NULM at the earliest.

**Encl.-** As mentioned above.

Yours faithfully,



Special Secretary

Urban Development & Housing Department

Annex-I

**Singhania Agrawal & Co.**  
Chartered Accountants



Date: 22-09-2017

To,  
The Deputy Director,  
Bihar Urban Development Agency  
Patna

Sub: Submission of Audit Report of National Urban Livelihood Mission (NULM) scheme along with Financial Statement for the F.Y. 2016-17

Ref: letter no. 04/NULM-04/2014- 1601 dated 05-07-2017

Sir,  
With reference to your above mentioned letter, please find the Audit Report of National Urban Livelihood Mission (NULM) scheme for the F.Y. 2016-17, which is based on the release of funds to the ULBs and Expenses incurred at the Nodal Agency.

We further advice you to get the Audited Utilisation Certificate along with Receipt & Payments Accounts from each ULBs to whom these fund were released for previous years to get the correct amount of utilization.

Kindly do the needful & oblige.

Thanking You.

For Singhania Agrawal & Co.  
Chartered Accountant  
FRN: 5527C

*S. C. Agrawal*

(S.C. Agrawal)  
Partner  
M.No: 072510



*S. C. Agrawal*  
*B. Singh*

**AUDITOR'S REPORT**

**AUDITOR'S REPORT TO THE MEMBERS OF THE GOVERNING BODY OF BIHAR URBAN DEVELOPMENT AGENCY**

**Background**

Bihar Urban Development Agency (BUDA) is a state level agency under UD&HD to channelize funds from GOI, GOB and other agencies. Bihar Urban Development Agency is a society registered under the Societies Registration Act, 1860. The main objectives for the formation of the society are following:

- 1) To formulate & suggest to the state government, various policy options for the alleviation of urban poverty in Bihar, advise the state Government on preparation of guidelines for the identification of urban poor, non agricultural labour, migrant labour, educated unemployed and artisans in the urban areas of Bihar.
- 2) Preparation of guidelines for the identification of urban poor, non agriculture labourers, migrant labourers etc.
- 3) Plans and schemes for economics, social, cultural and environmental improvements of identified beneficiaries living in the urban areas of Bihar or in their peripheries.
- 4) To facilitate the proper functioning of the district urban development agencies (DUDA) of the state.
- 5) To advise DUDA, local and other agencies in drawing up of plans & schemes and in implementation of schemes.
- 6) To channelize fund from GOI, GOB, scheduled banks, financial institutions & other sources for DUDAS.

**Swarna Jayanti Shahari Rozgar Yojana (SJSRY)** – It was launched on 01.12.1997 after subsuming the earlier three schemes for urban poverty alleviation, namely Nehru Rozgar Yojana (NRY), Basic Urban Services for the Poor (BUSP), and Prime Minister's Integrated Urban Poverty Eradication Programme (PMIUPEP). The key objective of the Scheme was to provide gainful employment to the urban unemployed or underemployed through the setting up of self-employment ventures or provision of wage employment. Presently it is known as National Urban Livelihood Mission (NULM).

To overcome the difficulties faced by the States/UTs and address certain drawbacks in the implementation of SJSRY, the Guidelines of the Scheme have been revised. It is presumed that the revised guidelines will assist in the effective implementation of SJSRY and make a dent on

# Singhania Agrawal & Co.

Chartered Accountants



the urban poverty scenario in the country. The Revised Guidelines came into effect from 1.4.2009, which has been also revised from time to time.

## Objectives

The objectives of the revised National Urban Livelihood Mission (NULM) are:

Aggressing urban poverty alleviation through gainful employment to the urban unemployed or underemployed poor by encouraging them to set up self-employment ventures (individual or group), with support for their sustainability; or undertake wage employment;

- Supporting skill development and training programmes to enable the urban poor have access to employment opportunities opened up by the market or undertake self-employment; and
- Empowering the community to tackle the issues of urban poverty through suitable self managed community structures like Neighbourhood Groups (NHGs), Neighbourhood committees (NHC), Community Development Society (CDS), etc.

The delivery of inputs under the Scheme shall be through the medium of urban local bodies and community structures. Thus, Swarna Jayanti Shahari Rozgar Yojana seeks to strengthen these local bodies and community organizations to enable them address the issues of employment and income generation facing the urban poor.

## Components

NULM  
SJSRY will have Six major components, namely-

- (i). Employment Through Skill Training & Placement (EST&P)
- (ii). Shelter for Urban Homeless (SUH)
- (iii). Support for Urban Street Vender (SUSV)
- (iv). Social Mobilisation & Institutional Development (SM & ID)
- (v). Capacity Building & Training (CB&T)
- (vi). Self-Employment Programme (SEP)

We have audited the attached Balance Sheet of the scheme NULM as at 31<sup>st</sup> March, 2017 and also Receipt & Payment Account for the year ended on that date annexed thereto. These financial statements are the responsibility of the management of BIHAR URBAN DEVELOPMENT AGENCY. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

We conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. Those Standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant



# Singhania Agrawal & Co.

Chartered Accountants



estimates made by management as well as evaluating the overall financial statements presentation. We believe that our audit provides reasonable basis for our opinion.

We report that

1. We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.
2. The Balance Sheet and Receipt & Payment Account dealt with by this report are in agreement with the books of account maintained by the said Authority.
3. We have examined the books of accounts of Bihar urban Development Agency relevant for scheme NULM.
4. We have not received the Audit reports and Financial Statements from ULBs
5. Funds release to various ULBs for the scheme NULM have been treated as expenses and assumed that funds have been utilized.
6. Bank Interest has not been considered in Financial Statements. .
7. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said accounts give the information required by the law in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India -  
(a) In the case of the Balance Sheet, of the state of affairs of the scheme NULM as at March 31st 2017 and Receipt & Payment Accounts for the year ended on that date.

Date: 22<sup>nd</sup> September, 2017  
Place: Patna

Singhania Agrawal & Co.  
Chartered Accountant  
FRN: 5527C

*S. C. Agrawal*  
(S.C. Agrawal)  
Partner  
M.No: 072510




# Bihar Urban Development Agency

National Urban Livelihood Mission (NULM)  
Receipt Payment for the F.Y. 2016-17

Receipts	Details	Amount	Amount
Opening Balance			12,61,34,760.34
Add: Grant Received During the Period			
Central Govt	22,38,10,000.00		
State Govt	29,88,56,666.00		52,26,66,666.00
<b>Total</b>			<b>64,88,01,426.34</b>
<b>Assets</b>		<b>Amount</b>	<b>Amount</b>
Fund Utilised			
Transfer to ULBs	5,51,98,525.00		10,73,29,502.00
Administrative Expenses	5,21,30,977.00		
<b>Closing Balance of Grant</b>			<b>54,14,71,924.34</b>
<b>Total</b>			<b>64,88,01,426.34</b>

Date: 22-3-17  
Place: Patna

For, Singhania Agrawal & Co.  
Chartered Accountants  
FRN 5527C



S. C. Agrawal  
(S.C. Agrawal)  
Partner  
M.No. 072510

# Bihar Urban Development Agency

## National Urban Livelihood Mission (NULM)

Balance Sheet as on 31-03-2017

Liabilities	Amount	Amount
<b>Grant Fund</b>		
Opening Balance	12,61,34,760.34	
Add: Grant Received During the Period	52,26,66,666.00	
Less: Grant Utilised during the year	<u>10,73,29,502.00</u>	54,14,71,924.34
<b>Total</b>		<b>54,14,71,924.34</b>
<b>Assets</b>	<b>Amount</b>	<b>Amount</b>
Cash & Cash Equivalent		54,14,71,924.34
<b>Total</b>		<b>54,14,71,924.34</b>


Date: 22-03-17

Place: Patna

For, Singhania Agrawal & Co.  
Chartered Accountants  
FRN 5527C

S. C. Agrawal

(S.C. Agrawal)  
Partner  
M.No. 072510



Date: 22-09-2017

To,  
The Deputy Director,  
Bihar Urban Development Agency  
Patna

Sub: Submission of Audit Report of National Urban Livelihood Mission (NULM) scheme along with Financial Statement for the F.Y. 2015-16

Ref: letter no. 04/10 - 61 / 2009- 1440 dated 21-07-2017

Sir,

With reference to your above mentioned letter, please find the Audit Report of National Urban Livelihood Mission (NULM) scheme for the F.Y. 2015-16, which is based on the release of funds to the ULBs and Expenses incurred at the Nodal Agency.

We further advice you to get the Audited Utilisation Certificate along with Receipt & Payments Accounts from each ULBs to whom these fund were released for previous years to get the correct amount of utilization.

Kindly do the needful & oblige.

Thanking You.

For Singhania Agrawal & Co.  
Chartered Accountants  
FRN: 5527C

*S. C. Agrawal*

(S.C. Agrawal)  
Partner  
M.No: 072510





**AUDITOR'S REPORT**

**AUDITOR'S REPORT TO THE MEMBERS OF THE GOVERNING BODY OF BIHAR URBAN DEVELOPMENT AGENCY**

**Background**

Bihar Urban Development Agency (BUDA) is a state level agency under UD&HD to channelize funds from GOI, GOB and other agencies. Bihar Urban Development Agency is a society registered under the Societies Registration Act, 1860. The main objectives for the formation of the society are following:

- 1) To formulate & suggest to the state government, various policy options for the alleviation of urban poverty in Bihar, advise the state Government on preparation of guidelines for the identification of urban poor, non agricultural labour, migrant labour, educated unemployed and artisans in the urban areas of Bihar.
- 2) Preparation of guidelines for the identification of urban poor, non agriculture labourers, migrant labourers etc.
- 3) Plans and schemes for economics, social, cultural and environmental improvements of identified beneficiaries living in the urban areas of Bihar or in their peripheries.
- 4) To facilitate the proper functioning of the district urban development agencies (DUDA) of the state.
- 5) To advise DUDA, local and other agencies in drawing up of plans & schemes and in implementation of schemes.
- 6) To channelize fund from GOI, GOB, scheduled banks, financial institutions & other sources for DUDAS.

**Swarna Jayanti Shahari Rozgar Yojana (SJSRY)** – It was launched on 01.12.1997 after subsuming the earlier three schemes for urban poverty alleviation, namely Nehru Rozgar Yojana (NRY), Basic Urban Services for the Poor (BUSP), and Prime Minister's Integrated Urban Poverty Eradication Programme (PMIUPEP). The key objective of the Scheme was to provide gainful employment to the urban unemployed or underemployed through the setting up of self-employment ventures or provision of wage employment. Presently it is known as National Urban Livelihood Mission (NULM).

To overcome the difficulties faced by the States/UTs and address certain drawbacks in the implementation of SJSRY, the Guidelines of the Scheme have been revised. It is presumed that the revised guidelines will assist in the effective implementation of SJSRY and make a dent on the urban poverty scenario in the country. The Revised Guidelines came into effect from 1.4.2009, which has been also revised from time to time.

## Objectives

The objectives of the revised National Urban Livelihood Mission (NULM) are:

Aggressing urban poverty alleviation through gainful employment to the urban unemployed or underemployed poor by encouraging them to set up self-employment ventures (individual or group), with support for their sustainability; or undertake wage employment;

- Supporting skill development and training programmes to enable the urban poor have access to employment opportunities opened up by the market or undertake self-employment; and
- Empowering the community to tackle the issues of urban poverty through suitable self managed community structures like Neighbourhood Groups (NHGs), Neighbourhood committees (NHC), Community Development Society (CDS), etc.

The delivery of inputs under the Scheme shall be through the medium of urban local bodies and community structures. Thus, Swarna Jayanti Shahari Rozgar Yojana seeks to strengthen these local bodies and community organizations to enable them address the issues of employment and income generation facing the urban poor.

## Components

<sup>NULM</sup>  
~~SJSRY~~ have Six major components, namely-

- (i). Employment Through Skill Training & Placement (EST&P)
- (ii). Shelter for Urban Homeless (SUH)
- (iii). Support for Urban Street Vender (SUSV)
- (iv). Social Mobilisation & Institutional Development (SM & ID)
- (v). Capacity Building & Training (CB&T)
- (vi). Self-Employment Programme (SEP)



# Singhania Agrawal & Co.

Chartered Accountants



We have audited the attached Balance Sheet of the scheme NULM as at 31<sup>st</sup> March, 2016 and also Receipt & Payment Account for the year ended on that date annexed thereto. These financial statements are the responsibility of the management of BIHAR URBAN DEVELOPMENT AGENCY. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

We conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. Those Standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management as well as evaluating the overall financial statements presentation. We believe that our audit provides reasonable basis for our opinion.

We report that

1. We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.
2. The Balance Sheet and Receipt & Payment Account dealt with by this report are in agreement with the books of account maintained by the said Authority.
3. We have examined the books of accounts of Bihar urban Development Agency relevant for scheme NULM.
4. We have not received the Audit reports and Financial Statements from ULBs
5. Funds release to various ULBs for the scheme NULM have been treated as expenses and assumed that funds have been utilized.
6. Bank Interest has not been considered in Financial Statements. .
7. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said accounts give the information required by the law in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India -
  - (a) In the case of the Balance Sheet, of the state of affairs of the scheme NULM as at March 31st 2016 and Receipt & Payment Accounts for the year ended on that date.

Date: 22<sup>nd</sup> September, 2017

Place: Patna

Singhania Agrawal & Co.


Chartered Accountant

FRN: 5527C

(S.C. Agrawal)

Partner

M.No: 072510



# Bihar Urban Development Agency


## National Urban Livelihood Mission (NULM) Receipt Payment for the F.Y. 2015-16

Receipts	Details	Amount	Amount
Opening Balance			25,12,19,033.34
Add: Grant Received During the Period			
Central Govt	24011/4/2015-UPA FTS 13304	25,58,61,000.00	
State Govt			
Total			50,70,80,033.34
Assets			
Fund Utilised			
Transfer to ULBs		28,95,55,500.00	
Administrative Expenses		9,13,89,773.00	
			38,09,45,273.00
Closing Balance of Grant			12,61,34,760.34
Total			50,70,80,033.34

Date:  
Place: Patna

For, Singhania Agrawal & Co.  
Chartered Accountants  
FRN 5527C

S. C. Agrawal  
(S.C. Agrawal)  
Partner  
M.No. 072510



# Bihar Urban Development Agency

## National Urban Livelihood Mission (NULM)

Balance Sheet as on 31-03-2016

Liabilities	Amount	Amount
Grant Fund		
Opening Balance	25,12,19,033.34	
Add: Grant Received During the Period	25,58,61,000.00	
Less: Grant Utilised during the year	<u>38,09,45,273.00</u>	12,61,34,760.34
Total		12,61,34,760.34
Assets	Amount	Amount
Cash & Cash Equivalent		12,61,34,760.34
Total		12,61,34,760.34

Date:

Place: Patna

For, Singhanian Agrawal & Co.

Chartered Accountants


FRN 5527C

S. C. Agrawal

(S.C. Agrawal)

Partner

M.No. 072510



**FORM GFR 19-A**

[See Rule 212 (1)]

**UTILISATION CERTIFICATE OF SJSRY/NULM**

F.Y.2015-16


Letter No. and date	Amount (Rs.)
1. G-24011/4/2015- UPA(Pt 1) FTS:13304 dated : 09-07-2015	25,58,61,000.00

Certified that out of Rs. 25,58,61,000.00/- of grants-in-aid sanctioned during the period from 01-04-2015 to 31-03-2016 in favour of Bihar Urban Development Agency, Urban Development & Housing Department, Bihar, Patna, under this Ministry vide Letter No. given in the margin. Further a sum of Rs. 685.21 lacs only being unspent balance of previous year was allowed to be brought forward. It was also certified that out of total grant Rs. 32,43,81,725.00 a sum of Rs. 22,85,67,164/- has been utilised for which it was sanctioned and that the balance of Rs. 9,58,14,561/- remaining unutilized at the end of the period.

Certified that I have satisfied myself that the conditions on which the grants-in-aid was sanctioned have been duly / are being fulfilled and that I have exercised the following check to see that the money was actually utilised for the purpose for which it was sanctioned.

Kinds of Checks exercised.

01. As per records

  
23/12/15

Signature  
(Special Secretary),  
Urban Development & Housing Department



**FORM GFR 19-A**

[See Rule 212 (1)]

**UTILISATION CERTIFICATE OF NULM**

F.Y.2016-17


Letter No. and date	Amount (Rs.)
1. G-24011/4/2015- UPA(Pt 1) FTS:13340 dated: 09.07.2015	14,38,000.00
2. G-24011/11/2016- UPA 1 FTS:16752 dated 13.12.2016	4,58,07,000.00
3. G-24011/11/2016- UPA 1 FTS : 16752 dated 13.12.2016	17,65,65,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>22,38,10,000.00</b>

Certified that out of Rs. 22,38,10,000/- of grants-in-aid sanctioned during the period from 01-04-2016 to 31-03-2017 in favour of Bihar Urban Development Agency, Urban Development & Housing Department, Bihar, Patna, under this Ministry vide Letter No. given in the margin. Further a sum of Rs. 9,58,14,561/- only being unspent balance of previous year was allowed to be brought forward. It was also certified that out of total grant Rs. 31,96,24,561/- a sum of Rs. 6,43,97,701/- has been utilised for which it was sanctioned and that the balance of Rs. 25,52,26,860/- remaining unutilized at the end of the period.

Certified that I have satisfied myself that the conditions on which the grants-in-aid was sanctioned have been duly / are being fulfilled and that I have exercised the following check to see that the money was actually utilised for the purpose for which it was sanctioned.

Kinds of Checks exercised.

01. As per records

  
23/12/17  
Signature

(Special Secretary)

Urban Development & Housing Department



पत्रांक-04/NULM-05/15- 223- /न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार  
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,  
सरकार के विशेष सचिव,  
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,  
नगर विकास एवं आवास विभाग,  
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक- 09/02/17

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2016-17 में General मद में आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार के F.No.G-24011/11/2016-UPA-I/16752 दिनांक-13.12.16 के आलोक में दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) के विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन पर व्यय की जाने वाली केन्द्रांश की राशि 1765.65 लाख रू0 (सत्रह करोड़ पैंसठ लाख पैंसठ हजार रू0) मात्र सहायक अनुदान के रूप में आवंटन की स्वीकृति।

विभागीय राज्यदेश सं०- 222 दिनांक- 09/02/17 द्वारा DAY-NULM योजना के अधीन General मद में आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र F.No.G-24011/11/2016-UPA-I/16752 दिनांक-13.12.16 के द्वारा 1765.65 लाख रू0 (सत्रह करोड़ पैंसठ लाख पैंसठ हजार रू0) मात्र का आवंटन उपलब्ध कराया गया है। उक्त के आलोक में वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्राप्त केन्द्रांश की राशि 1765.65 लाख रू0 (सत्रह करोड़ पैंसठ लाख पैंसठ हजार रू0) मात्र की आवंटन की स्वीकृति सहायक अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है।

- आवंटित कुल रू0 1765.65 लाख रू0 (सत्रह करोड़ पैंसठ लाख पैंसठ हजार रू0) मात्र की निकासी के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना होंगे। उक्त राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561, दिनांक-17.04.98, पत्रांक-423 दिनांक-31.03.16 एवं ज्ञापांक-5193 दिनांक-28.06.16 में निहित अनुदेशों के आलोक में सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना से चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में एक मुश्त की जाएगी। राशि की निकासी कर राशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा), पटना को उपलब्ध करा दी जाएगी। उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु संबंधित कार्यान्वयन एजेंसी/नगर निकाय को राशि बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा), पटना द्वारा RTGS के माध्यम से उपलब्ध करायी जाएगी।
- वित्त विभाग के परिपत्र सं०-7355 वि० (2), दिनांक-05.10.97 में निहित अनुदेश के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना का प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

✓



144

4. आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में विभाग द्वारा महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति सरकार को भी उपलब्ध कराई जायेगी।
5. स्वीकृत राशि 1765.65 लाख रू0 (सत्रह करोड़ पैंसठ लाख पैंसठ हजार रू0) मात्र की निकासी योजना मांग संख्या- 48 मुख्यशीर्ष-3475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें -उप मुख्यशीर्ष-00-लघुशीर्ष-108- शहरोन्मुखी रोजगार कार्यक्रम, उप शीर्ष- 0202- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, विपत्र कोड-P3475001080202, PFMS कोड-9162-विषय शीर्ष-31 06-सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में उपबंधित राशि 3500.00 लाख रू0 से विकलनीय होगी।
6. राशि की निकासी किसी भी स्थिति में ए0सी0 विपत्र पर नहीं किया जायेगा। चूंकि यह राशि शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान है इसलिए राशि की निकासी (BTC) के नियम 270 TC फॉर्म 42 पर किया जायेगा। राशि की निकासी करते समय विपत्र पर विपत्र कोड अनिवार्य रूप से अंकित किया जायेगा। स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर सभी संबंधित को उपलब्ध कराया जायेगा।
7. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को पुस्तकों एवं रजिस्ट्रों को देखने एवं जांच पड़ताल करने का अधिकार होगा।
8. राशि का व्यय DAY-NULM शहरों में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन पर किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(जय प्रकाश मंडल)

सरकार के विशेष सचिव,  
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक:-04/NULM-05/15- 223 / न० वि० एवं आ० वि०, पटना, दिनांक:- 02/02/17

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव,  
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक:-04/NULM-05/15- 223 / न० वि० एवं आ० वि०, पटना, दिनांक:- 08/02/17

प्रतिलिपि:- महालेखाकार बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार पटना/लेखापाल, नगर विकास एवं आवास विभाग (दो प्रतियों में)/प्रशाखा-2, नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/मंत्री नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/सभी संबंधित नगर निकाय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।

पत्रांक-04/NULM-05/15- 222 /न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,  
सरकार के विशेष सचिव,  
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार,  
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-09/02/17

**विषय:-** वित्तीय वर्ष 2016-17 में General मद में आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार के F.No.G-24011/11/2016-UPA-I/16752 दिनांक-13.12.16 के आलोक में दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) के विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन पर व्यय की जाने वाली केन्द्रांश की राशि 1765.65 लाख रू0 (सत्रह करोड़ पैंसठ लाख पैंसठ हजार रू0) मात्र सहायक अनुदान के रूप में निकासी की स्वीकृति।

**आदेश:-**स्वीकृत।

DAY-NULM योजना के अधीन General मद में आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र F.No.G-24011/11/2016-UPA-I/16752 दिनांक-13.12.16 के द्वारा 1765.65 लाख रू0 (सत्रह करोड़ पैंसठ लाख पैंसठ हजार रू0) मात्र का आवंटन उपलब्ध कराया गया है। उक्त के आलोक में वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्राप्त केन्द्रांश की राशि 1765.65 लाख रू0 (सत्रह करोड़ पैंसठ लाख पैंसठ हजार रू0) मात्र की निकासी की स्वीकृति सहायक अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है।

2. आवंटित कुल रू0 1765.65 लाख रू0 (सत्रह करोड़ पैंसठ लाख पैंसठ हजार रू0) मात्र की निकासी के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना होंगे। उक्त राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561, दिनांक-17.04.98, पत्रांक-423 दिनांक-31.03.16 एवं ज्ञापांक-5193 दिनांक-28.06.16 में निहित अनुदेशों के आलोक में सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना से चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में एक मुश्त की जाएगी। राशि की निकासी कर राशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा), पटना को उपलब्ध करा दी जाएगी। उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु संबंधित कार्यान्वयन एजेंसी/ नगर निकाय को राशि बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा), पटना द्वारा RTGS के माध्यम से उपलब्ध करायी जाएगी।
3. वित्त विभाग के परिपत्र सं०-7355 वि० (2), दिनांक-05.10.97 में निहित अनुदेश के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना का प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
4. आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में विभाग द्वारा महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति सरकार को भी उपलब्ध कराई जायेगी।

5. स्वीकृत राशि 1765.65 लाख रू0 (सत्रह करोड़ पैसठ लाख पैसठ हजार रू0) मात्र की निकासी योजना मांग संख्या- 48 मुख्यशीर्ष-3475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें -उप मुख्यशीर्ष-00-लघुशीर्ष-108- शहरोन्मुखी रोजगार कार्यक्रम, उप शीर्ष- 0202- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, विपत्र कोड-P3475001080202, PFMS कोड-9162-विषय शीर्ष-31 06-सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में उपबंधित राशि 3500.00 लाख रू0 से विकलनीय होगी।
6. राशि की निकासी किसी भी स्थिति में ए0सी0 विपत्र पर नहीं किया जायेगा। चूंकि यह राशि शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान है इसलिए राशि की निकासी (BTC) के नियम 270 TC फॉर्म 42 पर किया जायेगा। राशि की निकासी करते समय विपत्र पर विपत्र कोड अनिवार्य रूप से अंकित किया जायेगा। स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर सभी संबंधित को उपलब्ध कराया जायेगा।
7. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को पुस्तकों एवं रजिस्ट्रों को देखने एवं जांच पड़ताल करने का अधिकार होगा।
8. राशि का व्यय DAY-NULM शहरों में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन पर किया जायेगा।
9. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार, प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग का अनुमोदन संचिका के पृ0 सं0-52 /टि0 पर दिनांक-7/2/17 को प्राप्त है।
10. प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका के पृ0 सं0-52/टि0 पर दिनांक-6/2/17 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश में  
(जय प्रकाश शर्मा)  
सरकार के विशेष सचिव,  
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक:-04/NULM-05/15- 222 / न० वि० एवं आ० वि०, पटना, दिनांक:- 08/2/17

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव,  
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक:-04/NULM-05/15- 222 / न० वि० एवं आ० वि०, पटना, दिनांक:- 08/2/17

प्रतिलिपि:-वित्त विभाग (बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार, पटना/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/उप निदेशक, बिहार शहरी विकास अभिकरण, नगर विकास एवं आवास विभाग/लेखापाल, नगर विकास एवं आवास विभाग (दो प्रतियों में)/बजट शाखा-02, नगर विकास एवं आवास विभाग/ विकास आयुक्त, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/सभी संबंधित DAY-NULM नगर निकाय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव,  
नगर विकास एवं आवास विभाग।

पत्रांक-04/NULM-05/15- 222 /न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार  
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,  
सरकार के विशेष सचिव,  
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,  
नगर विकास एवं आवास विभाग,  
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक- 08/12/17

विषय:-

दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) हेतु Genral मद में केन्द्रांश की विमुक्त राशि 1765.65 लाख रू० (सत्रह करोड़ पैंसठ लाख पैंसठ हजार रू०) सहायक अनुदान के आनुपातिक राज्यांश की राशि रू० 1177.10 लाख (ग्यारह करोड़ सत्हत्तर लाख दस हजार रू० मात्र) के विरुद्ध रू० 967.86 लाख (नौ करोड़ सड़सठ लाख छियासी हजार रू०) मात्र का वित्तीय वर्ष 2016-17 में सहायक अनुदान के रूप में आवंटन की स्वीकृति।

विभागीय राज्यदेश सं०- 221 दिनांक-08/12/17 द्वारा दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) योजना के अधीन आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र F.No.G-24011/11/2016-UPA-I/16752 दिनांक-13.12.16 के द्वारा General मद में केन्द्रांश की विमुक्त राशि 1765.65 लाख रू० (सत्रह करोड़ पैंसठ लाख पैंसठ हजार रू०) मात्र के विरुद्ध आनुपातिक राज्यांश की राशि रू० 1177.10 लाख की निकासी की जानी है। परन्तु बजट में राज्यांश मद में 967.86 लाख रू० उपबंध रहने के कारण अभी रू० 967.86 लाख (नौ करोड़ सड़सठ लाख छियासी हजार रू० मात्र) सहायक अनुदान के रूप में वित्तीय वर्ष 2016-17 में आवंटन की स्वीकृति दी जाती है। अनुपातिक राज्यांश की अवशेष राशि रू० 209.24 लाख की निकासी बजट उपबंध प्राप्त होने पर की जायेगी।

- स्वीकृत राशि 967.86 लाख (नौ करोड़ सड़सठ लाख छियासी हजार रू० मात्र) की निकासी के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना होंगे। उक्त राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561, दिनांक-17.04.98, पत्रांक-423 दिनांक-31.03.16 एवं ज्ञापांक-5193 दिनांक-28.06.16 में निहित अनुदेशों के आलोक में सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना से चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में एक मुश्त की जाएगी। राशि की निकासी कर राशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा), पटना को उपलब्ध करा दी जाएगी। उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु संबंधित कार्यान्वयन एजेंसी/नगर निकायों को राशि बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा), पटना द्वारा RTGS के माध्यम से उपलब्ध करायी जाएगी।
- वित्त विभाग के परिपत्र सं०-7355 वि० (2), दिनांक-05.10.97 में निहित अनुदेश के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना का प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

4. आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में विभाग द्वारा महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति सरकार को भी उपलब्ध कराई जायेगी।
5. स्वीकृत राशि 967.86 लाख (नौ करोड़ सड़सठ लाख छियासी हजार रू० मात्र) की निकासी योजना मांग संख्या- 48 मुख्यशीर्ष-3475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें -उप मुख्यशीर्ष-00-लघुशीर्ष-108- शहरोन्मुखी रोजगार कार्यक्रम, उप शीर्ष- 0302- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, विपत्र कोड-P3475001080302, PFMS कोड-9162-विषय शीर्ष-31 06-सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा वित्तीय वर्ष 2016-17 में उपबंधित राशि 2673.60 लाख रू० (छब्बीस करोड़ तिहत्तर लाख साठ हजार रू० मात्र) की अवशेष राशि रू० 967.86 लाख (नौ करोड़ सड़सठ लाख छियासी हजार रू० मात्र) में से विकलनीय होगी।
6. राशि की निकासी किसी भी स्थिति में ए०सी० विपत्र पर नहीं किया जायेगा। चूंकि यह राशि शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान है इसलिए राशि की निकासी (BTC) के नियम 270 TC फॉर्म 42 पर किया जायेगा। राशि की निकासी करते समय विपत्र पर विपत्र कोड अनिवार्य रूप से अंकित किया जायेगा। स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर सभी संबंधित को उपलब्ध कराया जायेगा।
7. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को पुस्तकों एवं रजिस्ट्रों को देखने एवं जांच पड़ताल करने का अधिकार होगा।
8. राशि का व्यय DAY-NULM शहरों में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन पर किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(जय प्रकाश मंडल)

सरकार के विशेष सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक:-04/NULM-05/15- 222 / न० वि० एवं आ० वि०, पटना, दिनांक:- 08/02/17  
प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक:-04/NULM-05/15- 222 / न० वि० एवं आ० वि०, पटना, दिनांक:- 08/02/17

प्रतिलिपि:- महालेखाकार बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार पटना/लेखापाल, नगर विकास एवं आवास विभाग (दो प्रतियों में)/प्रशाखा-2, नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/मंत्री नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/सभी संबंधित नगर निकाय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव

पत्रांक-04/NULM-05/15- 221 /न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,  
सरकार के विशेष सचिव,  
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार,  
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-08/02/17

**विषय:-** दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) हेतु Genral मद में केन्द्रांश की विमुक्त राशि 1765.65 लाख रू0 (सत्रह करोड़ पैंसठ लाख पैंसठ हजार रू0) सहायक अनुदान के आनुपातिक राज्यांश की राशि रू0 1177.10 लाख (ग्यारह करोड़ सत्हत्तर लाख दस हजार रू0 मात्र) के विरुद्ध रू0 967.86 लाख (नौ करोड़ सड़सठ लाख छियासी हजार रू0) मात्र का वित्तीय वर्ष 2016-17 में सहायक अनुदान के रूप में निकासी की स्वीकृति।


**आदेश:-**स्वीकृत।

- दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) योजना के अधीन आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र F.No.G-24011/11/2016-UPA-I/16752 दिनांक-13.12.16 के द्वारा General मद में केन्द्रांश की विमुक्त राशि 1765.65 लाख रू0 (सत्रह करोड़ पैंसठ लाख पैंसठ हजार रू0) मात्र के विरुद्ध आनुपातिक राज्यांश की राशि रू0 1177.10 लाख की निकासी की जानी है। परन्तु बजट में राज्यांश मद में 967.86 लाख रू0 उपबंध रहने के कारण अभी रू0 967.86 लाख (नौ करोड़ सड़सठ लाख छियासी हजार रू0 मात्र) सहायक अनुदान के रूप में वित्तीय वर्ष 2016-17 में निकासी किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। अनुपातिक राज्यांश की अवशेष राशि रू0 209.24 लाख की निकासी बजट उपबंध प्राप्त होने पर की जायेगी।
2. स्वीकृत राशि 967.86 लाख (नौ करोड़ सड़सठ लाख छियासी हजार रू0 मात्र) की निकासी के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना होंगे। उक्त राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561, दिनांक-17.04.98, पत्रांक-423 दिनांक-31.03.16 एवं ज्ञापांक-5193 दिनांक-28.06.16 में निहित अनुदेशों के आलोक में सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना से चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में एक मुश्त की जाएगी। राशि की निकासी कर राशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा), पटना को उपलब्ध करा दी जाएगी। उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु संबंधित कार्यान्वयन एजेंसी/नगर निकायों को राशि बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा), पटना द्वारा RTGS के माध्यम से उपलब्ध करायी जाएगी।
  3. वित्त विभाग के परिपत्र सं०-7355 वि० (2), दिनांक-05.10.97 में निहित अनुदेश के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना का प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

138

4. आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में विभाग द्वारा महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति सरकार को भी उपलब्ध कराई जायेगी।
5. स्वीकृत राशि 967.86 लाख (नौ करोड़ सड़सठ लाख छियासी हजार रू० मात्र) की निकासी योजना मांग संख्या- 48 मुख्यशीर्ष-3475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें -उप मुख्यशीर्ष-00-लघुशीर्ष-108- शहरोन्मुखी रोजगार कार्यक्रम, उप शीर्ष- 0302- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, विपत्र कोड-P3475001080302, PFMS कोड-9162-विषय शीर्ष-31 06-सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा वित्तीय वर्ष 2016-17 में उपबंधित राशि 2673.60 लाख रू० (छब्बीस करोड़ तिहत्तर लाख साठ हजार रू० मात्र) की अवशेष राशि रू० 967.86 लाख (नौ करोड़ सड़सठ लाख छियासी हजार रू० मात्र) में से विकलनीय होगी।
6. राशि की निकासी किसी भी स्थिति में ए०सी० विपत्र पर नहीं किया जायेगा। चूंकि यह राशि शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान है इसलिए राशि की निकासी (BTC) के नियम 270 TC फॉर्म 42 पर किया जायेगा। राशि की निकासी करते समय विपत्र पर विपत्र कोड अनिवार्य रूप से अंकित किया जायेगा। स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर सभी संबंधित को उपलब्ध कराया जायेगा।
7. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को पुस्तकों एवं रजिस्ट्रों को देखने एवं जांच पड़ताल करने का अधिकार होगा।
8. राशि का व्यय DAY-NULM शहरों में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन पर किया जायेगा।
9. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार, प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग का अनुमोदन संचिका के पृ० सं०-52 /टि० पर दिनांक-7/4/17 को प्राप्त है।
10. प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका के पृ० सं०-52/टि० पर दिनांक-6/4/17को प्राप्त है। .


बिहार राज्यपाल के आदेश से,

  
(जय प्रकाश मंडल)

सरकार के विशेष सचिव,


नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक:-04/NULM-05/15- 281 / न० वि० एवं आ० वि०, पटना, दिनांक:- 08/02/17  
प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
सरकार के विशेष सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक:-04/NULM-05/15- 281 / न० वि० एवं आ० वि०, पटना, दिनांक:- 08/02/17  
प्रतिलिपि:-वित्त विभाग (बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार, पटना/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/उप निदेशक, बिहार शहरी विकास अभिकरण, नगर विकास एवं आवास विभाग/लेखापाल, नगर विकास एवं आवास विभाग (दो प्रतियों में)/बजट शाखा-02, नगर विकास एवं आवास विभाग/विकास आयुक्त, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/सभी संबंधित DAY-NULM नगर निकाय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
सरकार के विशेष सचिव।

0163

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,  
सरकार के विशेष सचिव,  
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,  
नगर विकास एवं आवास विभाग,  
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-23/3/17

विषय:-

दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) हेतु General मद में केन्द्रांश की विमुक्त राशि 1765.65 लाख रू० (सत्रह करोड़ पैंसठ लाख पैंसठ हजार रू०) सहायक अनुदान के आनुपातिक राज्यांश की राशि रू० 1177.10 लाख (ग्यारह करोड़ सत्हत्तर लाख दस हजार रू० मात्र) की अन्तर राशि रू० 209.24 लाख (दो करोड़ नौ लाख चौबीस हजार रू०) मात्र का वित्तीय वर्ष 2016-17 में सहायक अनुदान के रूप में आवंटन की स्वीकृति।

271  
विभागीय राज्यादेश सं०- दिनांक-23/3/17 द्वारा दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी

आजीविका मिशन (DAY-NULM) योजना के अधीन आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र F.No.G-24011/11/2016-UPA-I/16752 दिनांक-13.12.16 के द्वारा General मद में केन्द्रांश की विमुक्त राशि 1765.65 लाख रू० (सत्रह करोड़ पैंसठ लाख पैंसठ हजार रू०) मात्र के विरुद्ध आनुपातिक राज्यांश की राशि रू० 1177.10 लाख की निकासी की जानी है। परन्तु बजट में राज्यांश मद में 967.86 लाख रू० उपबंध रहने के कारण रू० 967.86 लाख (नौ करोड़ सड़सठ लाख छियासी हजार रू० मात्र) सहायक अनुदान के रूप में वित्तीय वर्ष 2016-17 में स्वीकृत्यादेश सं०-221 दिनांक-08.02.17 द्वारा निकासी की जा चुकी है। तृतीय अनुपूरक में बजट उपबंध प्राप्त हो चुका है, इसलिए अनुपातिक राज्यांश की अवशेष राशि रू० 1177.10-967.86 = 209.24 लाख (दो करोड़ नौ लाख चौबीस हजार रू०) की आवंटन की स्वीकृति दी जाती है।

- स्वीकृत राशि रू० 209.24 लाख (दो करोड़ नौ लाख चौबीस हजार रू०) की निकासी के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना होंगे। उक्त राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561, दिनांक-17.04.98, पत्रांक-423 दिनांक-31.03.16, ज्ञापांक-5193 दिनांक-28.06.16 एवं पत्रांक-357 दिनांक-10.03.17 (वित्तीय वर्ष 2016-17 में तृतीय अनुपूरक बजट) में निहित अनुदेशों के आलोक में सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना से चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में एक मुश्त की जाएगी। राशि की निकासी कर राशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा), पटना को उपलब्ध करा दी जाएगी। उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु संबंधित कार्यान्वयन एजेंसी/नगर निकायों को राशि बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा), पटना द्वारा RTGS के माध्यम से उपलब्ध करायी जाएगी।
- वित्त विभाग के परिपत्र सं०-7355 वि० (2), दिनांक-05.10.97 में निहित अनुदेश के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना का प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।



4. आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में विभाग द्वारा महालेखाकार, बिहार, पटना को उपलब्ध कराई जायेगी।
5. स्वीकृत राशि 209.24 लाख रू0 (दो करोड़ नौ लाख चौबीस हजार रू0) की निकासी योजना मांग संख्या- 48 मुख्यशीर्ष-3475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवार्ये -उप मुख्यशीर्ष-00-लघुशीर्ष-108- शहरोन्मुखी रोजगार कार्यक्रम, उप शीर्ष- 0302- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, विपत्र कोड-P3475001080302, PFMS कोड-9162-विषय शीर्ष-31 06-सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा वित्तीय वर्ष 2016-17 के तृतीय अनुपूरक में उपबंधित राशि 300.00 लाख रू0 (तीन करोड़ रू0 मात्र) में से विकलनीय होगी।
6. राशि की निकासी किसी भी स्थिति में ए0सी0 विपत्र पर नहीं किया जायेगा। चूंकि यह राशि शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान है इसलिए राशि की निकासी (BTC) के नियम 270 TC फॉर्म 42 पर किया जायेगा। राशि की निकासी करते समय विपत्र पर विपत्र कोड अनिवार्य रूप से अंकित किया जायेगा। स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर सभी संबंधित को उपलब्ध कराया जायेगा।
7. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को पुस्तकों एवं रजिस्ट्रों को देखने एवं जांच पड़ताल करने का अधिकार होगा।
8. राशि का व्यय DAY-NULM शहरों में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन पर किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(जय प्रकाश मंडल)

सरकार के विशेष सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक:-04/NULM-05/15- 272

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक:-04/NULM-05/15- 272

/ न० वि० एवं आ० वि०, पटना, दिनांक:- 23/3/17

प्रतिलिपि:-महालेखाकार बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार पटना/उप निदेशक, बुडा/लेखापाल, बुडा, नगर विकास एवं आवास विभाग (दो प्रतियों में)/प्रशाखा-2, (बजट) नगर विकास एवं आवास विभाग/विकास आयुक्त, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/मंत्री नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/सभी संबंधित DAY-NULM नगर निकाय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।

पत्रांक-04/NULM-05/15- 271 / न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार  
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,  
सरकार के विशेष सचिव,  
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार,  
बिहार, पटना।

विषय:-

पटना, दिनांक- 23-3-17  
दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) हेतु Genral मद में केन्द्रांश की विमुक्त राशि 1765.65 लाख रू0 (सत्रह करोड़ पैसठ लाख पैसठ हजार रू0) सहायक अनुदान के आनुपातिक राज्यांश की राशि रू0 1177.10 लाख (ग्यारह करोड़ सत्हत्तर लाख दस हजार रू0 मात्र) की अन्तर राशि रू0 209.24 लाख (दो करोड़ नौ लाख चौबीस हजार रू0) मात्र का वित्तीय वर्ष 2016-17 में सहायक अनुदान के रूप में निकासी की स्वीकृति।

आदेश:-स्वीकृत।

- दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) योजना के अधीन आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र F.No.G-24011/11/2016-UPA-I/16752 दिनांक-13.12.16 के द्वारा General मद में केन्द्रांश की विमुक्त राशि 1765.65 लाख रू0 (सत्रह करोड़ पैसठ लाख पैसठ हजार रू0) मात्र के विरुद्ध आनुपातिक राज्यांश की राशि रू0 1177.10 लाख की निकासी की जानी है। परन्तु बजट में राज्यांश मद में 967.86 लाख रू0 उपबंध रहने के कारण रू0 967.86 लाख (नौ करोड़ सड़सठ लाख छियासी हजार रू0 मात्र) सहायक अनुदान के रूप में वित्तीय वर्ष 2016-17 में स्वीकृत्यादेश सं0-221 दिनांक-08.02.17 द्वारा निकासी की जा चुकी है। तृतीय अनुपूरक में बजट उपबंध प्राप्त हो चुका है, इसलिए अनुपातिक राज्यांश की अवशेष राशि रू0 1177.10-967.86 = 209.24 लाख (दो करोड़ नौ लाख चौबीस हजार रू0) की निकासी की स्वीकृति दी जाती है।
- स्वीकृत राशि रू0 209.24 लाख (दो करोड़ नौ लाख चौबीस हजार रू0) की निकासी के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना होंगे। उक्त राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं0-2561, दिनांक-17.04.98, पत्रांक-423 दिनांक-31.03.16, ज्ञापांक-5193 दिनांक-28.06.16 एवं पत्रांक-357 दिनांक-10.03.17 (वित्तीय वर्ष 2016-17 में तृतीय अनुपूरक बजट) में निहित अनुदेशों के आलोक में सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना से चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में एक मुश्त की जाएगी। राशि की निकासी कर राशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा), पटना को उपलब्ध करा दी जाएगी। उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु संबंधित कार्यान्वयन एजेंसी/नगर निकायों को राशि बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा), पटना द्वारा RTGS के माध्यम से उपलब्ध करायी जाएगी।
  - वित्त विभाग के परिपत्र सं0-7355 वि0 (2), दिनांक-05.10.97 में निहित अनुदेश के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना का प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

4. आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में विभाग द्वारा महालेखाकार, बिहार, पटना को उपलब्ध कराई जायेगी।
5. स्वीकृत राशि 209.24 लाख रू0 (दो करोड़ नौ लाख चौबीस हजार रू0) की निकासी योजना मांग संख्या- 48 मुख्यशीर्ष-3475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें -उप मुख्यशीर्ष-00-लघुशीर्ष-108- शहरोन्मुखी रोजगार कार्यक्रम, उप शीर्ष- 0302- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, विपत्र कोड-P3475001080302, PFMS कोड-9162-विषय शीर्ष-31 06-सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा वित्तीय वर्ष 2016-17 के तृतीय अनुपूरक में उपबंधित राशि 300.00 लाख रू0 (तीन करोड़ रू0 मात्र) में से विकलनीय होगी।
6. राशि की निकासी किसी भी स्थिति में ए0सी0 विपत्र पर नहीं किया जायेगा। चूंकि यह राशि शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान है इसलिए राशि की निकासी (BTC) के नियम 270 TC फॉर्म 42 पर किया जायेगा। राशि की निकासी करते समय विपत्र पर विपत्र कोड अनिवार्य रूप से अंकित किया जायेगा। स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर सभी संबंधित को उपलब्ध कराया जायेगा।
7. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को पुस्तकों एवं रजिस्ट्रों को देखने एवं जांच पड़ताल करने का अधिकार होगा।
8. राशि का व्यय DAY-NULM शहरों में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन पर किया जायेगा।
9. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार, प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग का अनुमोदन संचिका के पृ0 सं0-56 /टि0 पर दिनांक-23-03-17को प्राप्त है।
10. प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका के पृ0 सं0-56/टि0 पर दिनांक-22-03-17 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(जय प्रकाश मंडल)

सरकार के विशेष सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक:-04/NULM-05/15-271 / न० वि० एवं आ० वि०, पटना, दिनांक:-23-3-17  
प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक:-04/NULM-05/15-271 / न० वि० एवं आ० वि०, पटना, दिनांक:-23-3-17  
प्रतिलिपि:-वित्त विभाग (बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार, पटना/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/उप निदेशक, बिहार शहरी विकास अभिकरण, नगर विकास एवं आवास विभाग/लेखापाल, नगर विकास एवं आवास विभाग (दो प्रतियों में)/बजट शाखा-02, नगर विकास एवं आवास विभाग/विकास आयुक्त, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/सभी संबंधित DAY- NULM नगर निकाय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव

पत्रांक-04/NULM-05/15- 224 /न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,  
सरकार के विशेष सचिव,  
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,  
नगर विकास एवं आवास विभाग,  
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-08/02/17

विषय:-

SCSP मद में आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार के F.No.G-24011/11/2016-UPA-I/16752 दिनांक-13.12.16 के आलोक में दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) के विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन पर व्यय की जाने वाली केन्द्रांश की राशि 458.07 लाख रू0 (चार करोड़ अनठावन लाख सात हजार रू0) मात्र का वित्तीय वर्ष 2016-17 में सहायक अनुदान के रूप में आवंटन की स्वीकृति।

223 दिनांक-08/02/17  
विभागीय राज्यदेश सं०- दिनांक- द्वारा DAY-NULM योजना के अधीन SCSP मद में वित्तीय वर्ष 2016-17 में आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र F.No.G-24011/11/2016-UPA-I/16752 दिनांक- 13.12.16 के द्वारा 458.07 लाख रू0 (चार करोड़ अनठावन लाख सात हजार रू0) मात्र का आवंटन उपलब्ध कराया गया है। उक्त के आलोक में वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्राप्त केन्द्रांश की राशि 458.07 लाख रू0 (चार करोड़ अनठावन लाख सात हजार रू0) मात्र की आवंटन की स्वीकृति सहायक अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है।

2. आवंटित राशि कुल 458.07 लाख रू0 (चार करोड़ अनठावन लाख सात हजार रू0) मात्र की निकासी के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना होंगे। उक्त राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561, दिनांक-17.04.98, पत्रांक-423 दिनांक-31.03.16 एवं ज्ञापांक-5193 दिनांक-28.06.16 में निहित अनुदेशों के आलोक में सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना से चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में एक मुश्त की जाएगी। राशि की निकासी कर राशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा), पटना को उपलब्ध करा दी जाएगी। उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु संबंधित कार्यान्वयन एजेंसी/नगर निकायों को राशि बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा), पटना द्वारा RTGS के माध्यम से उपलब्ध करायी जाएगी।
3. वित्त विभाग के परिपत्र सं०-7355 वि० (2), दिनांक-05.10.97 में निहित अनुदेश के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना का प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

4. आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में विभाग द्वारा महालेखाकार, बिहार, पटना का भेजते हुए उसकी प्रति सरकार को भी उपलब्ध कराई जायेगी।
5. स्वीकृत राशि 458.07 लाख रू0 (चार करोड़ अनठावन लाख सात हजार रू0) मात्र की निकासी योजना मांग संख्या- 48 मुख्यशीर्ष-3475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें -उप मुख्यशीर्ष-00-लघुशीर्ष-789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष- 0202- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, विपत्र कोड-P3475007890202, PFMS कोड-9162-विषय शीर्ष-31 06-सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में उपबंधित राशि 1000.00 लाख रू0 (दस करोड़ रू0 मात्र) में से विकलनीय होगी।
6. राशि की निकासी किसी भी स्थिति में ए0सी0 विपत्र पर नहीं किया जायेगा। चूंकि यह राशि शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान है इसलिए राशि की निकासी (BTC) के नियम 270 IC फॉर्म 42 पर किया जायेगा। राशि की निकासी करते समय विपत्र पर विपत्र कोड अनिवार्य रूप से अंकित किया जायेगा। स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर सभी संबंधित को उपलब्ध कराया जायेगा।
7. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को पुस्तकों एवं रजिस्ट्रों को देखने एवं जांच पड़ताल करने का अधिकार होगा।
8. राशि का व्यय DAY-NULM शहरों में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन पर किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

*(Handwritten Signature)*

(जय प्रकाश मंडल)

सरकार के विशेष सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक:-04/NULM-05/15- 224 / न० वि० एवं आ० वि०, पटना, दिनांक:- 08/02/17  
प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

*(Handwritten Signature)*

सरकार के विशेष सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक:-04/NULM-05/15- 224 / न० वि० एवं आ० वि०, पटना, दिनांक:- 08/02/17

प्रतिलिपि:- महालेखाकार बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार पटना/लेखापाल, नगर विकास एवं आवास विभाग (दो प्रतियों में)/प्रशाखा-2, नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/मंत्री नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/सभी संबंधित नगर निकाय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

*(Handwritten Signature)*

सरकार के विशेष सचिव।

*(Handwritten Mark)*

पत्रांक-04/NULM-05/15- 223 /न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार  
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,  
सरकार के विशेष सचिव,  
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार,  
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-08/02/17

**विषय:-** SCSP मद में आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार के F.No.G-24011/11/2016-UPA-I/16752 दिनांक-13.12.16 के आलोक में दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) के विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन पर व्यय की जाने वाली केन्द्रांश की राशि 458.07 लाख रू0 (चार करोड़ अनठावन लाख सात हजार रू0) मात्र का वित्तीय वर्ष 2016-17 में सहायक अनुदान के रूप में निकासी की स्वीकृति।

**आदेश:-स्वीकृत।**

DAY-NULM योजना के अधीन SCSP मद में आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र F.No.G-24011/11/2016-UPA-I/16752 दिनांक- 13.12.16 के द्वारा 458.07 लाख रू0 (चार करोड़ अनठावन लाख सात हजार रू0) मात्र का आवंटन उपलब्ध कराया गया है। उक्त के आलोक में वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्राप्त केन्द्रांश की राशि 458.07 लाख रू0 (चार करोड़ अनठावन लाख सात हजार रू0) मात्र की निकासी की स्वीकृति सहायक अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है।

2. आवंटित राशि कुल 458.07 लाख रू0 (चार करोड़ अनठावन लाख सात हजार रू0) मात्र की निकासी के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना होंगे। उक्त राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं0-2561, दिनांक-17.04.98, पत्रांक-423 दिनांक-31.03.16 एवं ज्ञापांक-5193 दिनांक-28.06.16 में निहित अनुदेशों के आलोक में सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना से चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में एक मुश्त की जाएगी। राशि की निकासी कर राशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा), पटना को उपलब्ध करा दी जाएगी। उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु संबंधित कार्यान्वयन एजेंसी/नगर निकायों को राशि बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा), पटना द्वारा RTGS के माध्यम से उपलब्ध करायी जाएगी।
3. वित्त विभाग के परिपत्र सं0-7355 वि0 (2), दिनांक-05.10.97 में निहित अनुदेश के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना का प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
4. आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में विभाग द्वारा महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति सरकार को भी उपलब्ध कराई जायेगी।

5. स्वीकृत राशि 458.07 लाख रू0 (चार करोड़ अनठावन लाख सात हजार रू0) मात्र की निकासी योजना मांग संख्या- 48 मुख्यशीर्ष-3475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें -उप मुख्यशीर्ष-00-लघुशीर्ष-789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष- 0202- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, विपत्र कोड-P3475007890202, PFMS कोड-9162-विषय शीर्ष-31 06-सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में उपबंधित राशि 1000.00 लाख रू0 (दस करोड़ रू0 मात्र) में से विकलनीय होगी।
6. राशि की निकासी किसी भी स्थिति में ए0सी0 विपत्र पर नहीं किया जायेगा। चूंकि यह राशि शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान है इसलिए राशि की निकासी (BTC) के नियम 270 TC फॉर्म 42 पर किया जायेगा। राशि की निकासी करते समय विपत्र पर विपत्र कोड अनिवार्य रूप से अंकित किया जायेगा। स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर सभी संबंधित को उपलब्ध कराया जायेगा।
7. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को पुस्तकों एवं रजिस्ट्रों को देखने एवं जांच पड़ताल करने का अधिकार होगा।
8. राशि का व्यय DAY-NULM शहरों में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन पर किया जायेगा।
9. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार, प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग का अनुमोदन संचिका के पृ0 सं0-52/टि0 पर दिनांक-7/2/17 को प्राप्त है।
10. प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका के पृ0 सं0-52/टि0 पर दिनांक-6/2/17 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(जय प्रकाश मंडल)

सरकार के विशेष सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक:-04/NULM-05/15- 223 / न० वि० एवं आ० वि०, पटना, दिनांक:- 09/02/17  
प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक:-04/NULM-05/15- 223 / न० वि० एवं आ० वि०, पटना, दिनांक:- 09/02/17  
प्रतिलिपि:- वित्त विभाग (बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार, पटना/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/उप निदेशक, बिहार शहरी विकास अभिकरण, नगर विकास एवं आवास विभाग/लेखापाल, नगर विकास एवं आवास विभाग (दो प्रतियों में)/बजट शाखा-02, नगर विकास एवं आवास विभाग/विकास आयुक्त, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/सभी संबंधित DAY- NULM नगर निकाय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग।

पत्रांक-04/NULM-05/15- 225 /न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,  
सरकार के विशेष सचिव,  
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,  
नगर विकास एवं आवास विभाग,  
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक- 08/01/17

विषय:-

दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) हेतु SCSP मद में केन्द्रांश की विमुक्त राशि 458.07 लाख रू0 (चार करोड़ अनठावन लाख सात हजार रू0) सहायक अनुदान के आनुपातिक राज्यांश की राशि रू0 305.38 लाख (तीन करोड़ पाँच लाख अड़तीस हजार रू0 मात्र) वित्तीय वर्ष 2016-17 में सहायक अनुदान के रूप में आवंटन की स्वीकृति।

224 08-2113  
विभागीय राज्यदेश सं०- दिनांक- द्वारा दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) योजना के अधीन आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र F.No.G-24011/11/2016-UPA-I/16752 दिनांक-13.12.16 के द्वारा SCSP मद में केन्द्रांश की विमुक्त राशि 458.07 लाख रू0 (चार करोड़ अनठावन लाख सात हजार रू0) मात्र के आनुपातिक राज्यांश की राशि रू0 305.38 लाख (तीन करोड़ पाँच लाख अड़तीस हजार रू0 मात्र) की सहायक अनुदान के रूप में वित्तीय वर्ष 2016-17 में आवंटन की स्वीकृति दी जाती है।

- स्वीकृत राशि 305.38 लाख (तीन करोड़ पाँच लाख अड़तीस हजार रू0 मात्र) की निकासी के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना होंगे। उक्त राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561, दिनांक-17.04.98, पत्रांक-423 दिनांक-31.03.16 एवं ज्ञापांक-5193 दिनांक-28.06.16 में निहित अनुदेशों के आलोक में सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना से चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में एक मुश्त की जाएगी। राशि की निकासी कर राशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा), पटना को उपलब्ध करा दी जाएगी। उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु संबंधित कार्यान्वयन एजेंसी/नगर निकायों को राशि बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा), पटना द्वारा RTGS के माध्यम से उपलब्ध करायी जाएगी।
- वित्त विभाग के परिपत्र सं०-7355 वि० (2), दिनांक-05.10.97 में निहित अनुदेश के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना का प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
- आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में विभाग द्वारा महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति सरकार को भी उपलब्ध कराई जायेगी।

u



132

5. स्वीकृत राशि 305.38 लाख (तीन करोड़ पाँच लाख अड़तीस हजार रू० मात्र) की निकासी योजना मां० संख्या- 48 मुख्यशीर्ष-3475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें -उप मुख्यशीर्ष-00-लघुशीर्ष-789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष- 0302- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, विपत्र कोड-P3475007890302, PFMS कोड-9162-विषय शीर्ष-31 06-सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा वित्तीय वर्ष 2016-17 में उपबंधित राशि 326.40 लाख रू० (तीन करोड़ छब्बीस लाख चालीस हजार रू० मात्र) में से विकलनीय होगी।
6. राशि की निकासी किसी भी स्थिति में ए०सी० विपत्र पर नहीं किया जायेगा। चूंकि यह राशि शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान है इसलिए राशि की निकासी (BTC) के नियम 270 TC फॉर्म 42 पर किया जायेगा। राशि की निकासी करते समय विपत्र पर विपत्र कोड अनिवार्य रूप से अंकित किया जायेगा। स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर सभी संबंधित को उपलब्ध कराया जायेगा।
7. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को पुस्तकों एवं रजिस्ट्रों को देखने एवं जांच पड़ताल करने का अधिकार होगा।
8. राशि का व्यय DAY-NULM शहरों में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन पर किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(जय प्रकाश मिश्र)

सरकार के विशेष सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक:-04/NULM-05/15- 225 / न० वि० एवं आ० वि०, पटना, दिनांक:- 08/02/17  
प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक:-04/NULM-05/15- 225 / न० वि० एवं आ० वि०, पटना, दिनांक:- 08/02/17  
प्रतिलिपि:-महालेखाकार बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार पटना/लेखापाल, नगर विकास एवं आवास विभाग (दो प्रतियों में)/प्रशाखा-2, नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/मंत्री नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/सभी संबंधित नगर निकायों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।

पत्रांक-04/NULM-05/15- 224 /न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,  
सरकार के विशेष सचिव,  
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार,  
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-09/02/17

**विषय:-** दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) हेतु SCSP मद में केन्द्रांश की विमुक्त राशि 458.07 लाख रू0 (चार करोड़ अनठावन लाख सात हजार रू0) सहायक अनुदान के आनुपातिक राज्यांश की राशि रू0 305.38 लाख (तीन करोड़ पाँच लाख अड़तीस हजार रू0 मात्र) वित्तीय वर्ष 2016-17 में सहायक अनुदान के रूप में निकासी की स्वीकृति।

**आदेश:-**स्वीकृत।

दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) योजना के अधीन आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र F.No.G-24011/11/2016-UPA-I/16752 दिनांक-13.12.16 के द्वारा SCSP मद में केन्द्रांश की विमुक्त राशि 458.07 लाख रू0 (चार करोड़ अनठावन लाख सात हजार रू0) मात्र के आनुपातिक राज्यांश की राशि रू0 305.38 लाख (तीन करोड़ पाँच लाख अड़तीस हजार रू0 मात्र) की सहायक अनुदान के रूप में वित्तीय वर्ष 2016-17 में निकासी किये जाने की स्वीकृति दी जाती है।

- स्वीकृत राशि 305.38 लाख (तीन करोड़ पाँच लाख अड़तीस हजार रू0 मात्र) की निकासी के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना होंगे। उक्त राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं0-2561, दिनांक-17.04.98, पत्रांक-423 दिनांक-31.03.16 एवं ज्ञापांक-5193 दिनांक-28.06.16 में निहित अनुदेशों के आलोक में सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना से चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में एक मुश्त की जाएगी। राशि की निकासी कर राशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा), पटना को उपलब्ध करा दी जाएगी। उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु संबंधित कार्यान्वयन एजेंसी/नगर निकायों को राशि बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा), पटना द्वारा RTGS के माध्यम से उपलब्ध करायी जाएगी।
- वित्त विभाग के परिपत्र सं0-7355 वि0 (2), दिनांक-05.10.97 में निहित अनुदेश के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना का प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
- आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में विभाग द्वारा महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति सरकार को भी उपलब्ध कराई जायेगी।

4

5. स्वीकृत राशि 305.38 लाख (तीन करोड़ पाँच लाख अड़तीस हजार रू० मात्र) की निकासी योजना संख्या- 48 मुख्यशीर्ष-3475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें -उप मुख्यशीर्ष-00-लघुशीर्ष-789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष- 0302- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, विपत्र कोड-P3475007890302, PFMS कोड-9162-विषय शीर्ष-31 06-सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा वित्तीय वर्ष 2016-17 में उपबंधित राशि 326.40 लाख रू० (तीन करोड़ छब्बीस लाख चालीस हजार रू० मात्र) में से विकलनीय होगी।
6. राशि की निकासी किसी भी स्थिति में ए०सी० विपत्र पर नहीं किया जायेगा। चूंकि यह राशि शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान है इसलिए राशि की निकासी (BTC) के नियम 270 TC फॉर्म 42 पर किया जायेगा। राशि की निकासी करते समय विपत्र पर विपत्र कोड अनिवार्य रूप से अंकित किया जायेगा। स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर सभी संबंधित को उपलब्ध कराया जायेगा।
7. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को पुस्तकों एवं रजिस्ट्रों को देखने एवं जांच पड़ताल करने का अधिकार होगा।
8. राशि का व्यय DAY-NULM शहरों में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन पर किया जायेगा।
9. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार, प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग का अनुमोदन संचिका के पृ० सं०-52/टि० पर दिनांक-7/2/17 को प्राप्त है।
10. प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका के पृ० सं०-52/टि० पर दिनांक-6/2/17 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश में,

(जय प्रकाश मंडल)

सरकार के विशेष सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक:-04/NULM-05/15- 224 / न० वि० एवं आ० वि०, पटना, दिनांक:- 08/02/17  
प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक:-04/NULM-05/15- 224 / न० वि० एवं आ० वि०, पटना, दिनांक:- 08/02/17

प्रतिलिपि:-वित्त विभाग (बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार, पटना/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/उप निदेशक, बिहार शहरी विकास अभिकरण, नगर विकास एवं आवास विभाग/लेखापाल, नगर विकास एवं आवास विभाग (दो प्रतियों में)/बजट शाखा-02, नगर विकास एवं आवास विभाग/विकास आयुक्त, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/सभी संबंधित DAY- NULM नगर निकाय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।

पत्रांक-04/NULM-05/15- 273 /न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार  
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,  
सरकार के विशेष सचिव,  
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,  
नगर विकास एवं आवास विभाग,  
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-23/3/17

विषय:-

दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) हेतु जनजातिय क्षेत्र उपयोजना मद में केन्द्रांश की विमुक्त राशि 14.07 लाख रू0 (चौदह लाख सात हजार रू0) मात्र सहायक अनुदान का वित्तीय वर्ष 2016-17 में आवंटन की स्वीकृति।

272  
विभागीय राज्यादेश सं०- दिनांक-23/3/17 द्वारा दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) योजना के अधीन वित्तीय वर्ष 2016-17 में आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र F.No.G-24011/11/2016-UPA-I/16752 दिनांक-13.12.16 के द्वारा जनजातिय क्षेत्र उपयोजना मद में केन्द्रांश की विमुक्त राशि 14.07 लाख रू0 (चौदह लाख सात हजार रू0) मात्र का सहायक अनुदान के रूप में वित्तीय वर्ष 2016-17 में आवंटन की स्वीकृति दी जाती है।

- स्वीकृत राशि 14.07 लाख रू0 (चौदह लाख सात हजार रू0) मात्र की निकासी के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना होंगे। उक्त राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561, दिनांक-17.04.98, पत्रांक-423 दिनांक-31.03.16, ज्ञापांक-5193 दिनांक-28.06.16 एवं पत्रांक-357 दिनांक-10.03.17 (वित्तीय वर्ष 2016-17 में तृतीय अनुपूरक बजट) में निहित अनुदेशों के आलोक में सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना से चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में एक मुश्त की जाएगी। राशि की निकासी कर राशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा), पटना को उपलब्ध करा दी जाएगी। उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु संबंधितों को राशि बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा), पटना द्वारा RTGS के माध्यम से उपलब्ध करायी जाएगी।
- वित्त विभाग के परिपत्र सं०-7355 वि० (2), दिनांक-05.10.97 में निहित अनुदेश के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना का प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
- आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में विभाग द्वारा महालेखाकार, बिहार, पटना को उपलब्ध कराई जायेगी।

171

5. स्वीकृत राशि 14.07 लाख रू0 (चौदह लाख सात हजार रू0) मात्र की निकासी योजना मांग संख्या- 48 मुख्यशीर्ष-3475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें -उप मुख्यशीर्ष-00-लघुशीर्ष-796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष- 0202- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, विपत्र कोड-P3475007960202, PFMS कोड-9162-विषय शीर्ष-31 06-सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा वित्तीय वर्ष 2016-17 के तृतीय अनुपूरक में उपबंधित राशि 15.00 लाख रू0 (पन्द्रह लाख रू0) मात्र से विकलनीय होगी।
6. राशि की निकासी किसी भी स्थिति में ए0सी0 विपत्र पर नहीं किया जायेगा। चूंकि यह राशि शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान है इसलिए राशि की निकासी (BTC) के नियम 270 TC फॉर्म 42 पर किया जायेगा। राशि की निकासी करते समय विपत्र पर विपत्र कोड अनिवार्य रूप से अंकित किया जायेगा। ये सभी योजनाएँ नई है, इसलिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर सभी संबंधित को उपलब्ध कराया जायेगा।
7. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को पुस्तकों एवं रजिस्ट्रों को देखने एवं जांच पड़ताल करने का अधिकार होगा।
8. राशि का व्यय NULM शहरों में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन पर किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

*(Handwritten signature)*  
23.3.17

(जय प्रकाश मंडल)  
सरकार के विशेष सचिव,  
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक:-04/NULM-05/15- 273 / न० वि० एवं आ० वि०, पटना, दिनांक:-23-3-17

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

*(Handwritten signature)*  
23.3.17

सरकार के विशेष सचिव,  
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक:-04/NULM-05/15- 273 / न० वि० एवं आ० वि०, पटना, दिनांक:-23-3-17

प्रतिलिपि:- महालेखाकार बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार, पटना/उप निदेशक, बिहार शहरी विकास अभिकरण, नगर विकास एवं आवास विभाग/लेखापाल, नगर विकास एवं आवास विभाग (दो प्रतियों में)/बजट शाखा-02, नगर विकास एवं आवास विभाग/विकास आयुक्त, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/सभी संबंधित DAY-NULM नगर निकाय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

*(Handwritten signature)*  
23.3.17

सरकार के विशेष सचिव।

*(Handwritten initials)*  
23

पत्रांक-04/NULM-05/15- 272 / न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,  
सरकार के विशेष सचिव,  
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार,  
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-23/3/17

**विषय:-** दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) हेतु जनजातिय क्षेत्र उपयोजना मद में केन्द्रांश की विमुक्त राशि 14.07 लाख रू0 (चौदह लाख सात हजार रू0) मात्र सहायक अनुदान का वित्तीय वर्ष 2016-17 में निकासी की स्वीकृति।

**आदेश:-स्वीकृत।**

दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) योजना के अधीन वित्तीय वर्ष 2016-17 में आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र F.No.G-24011/11/2016-UPA-I/16752 दिनांक-13.12.16 के द्वारा जनजातिय क्षेत्र उपयोजना मद में केन्द्रांश की विमुक्त राशि 14.07 लाख रू0 (चौदह लाख सात हजार रू0) मात्र का सहायक अनुदान के रूप में वित्तीय वर्ष 2016-17 में निकासी किये जाने की स्वीकृति दी जाती है।

2. स्वीकृत राशि 14.07 लाख रू0 (चौदह लाख सात हजार रू0) मात्र की निकासी के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना होंगे। उक्त राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561, दिनांक-17.04.98, पत्रांक-423 दिनांक-31.03.16, ज्ञापांक-5193 दिनांक-28.06.16 एवं पत्रांक-357 दिनांक-10.03.17 (वित्तीय वर्ष 2016-17 में तृतीय अनुपूरक बजट) में निहित अनुदेशों के आलोक में सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना से चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में एक मुश्त की जाएगी। राशि की निकासी कर राशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा), पटना को उपलब्ध करा दी जाएगी। उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु संबंधितों को राशि बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा), पटना द्वारा RTGS के माध्यम से उपलब्ध करायी जाएगी।
3. वित्त विभाग के परिपत्र सं०-7355 वि० (2), दिनांक-05.10.97 में निहित अनुदेश के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना का प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
4. आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में विभाग द्वारा महालेखाकार, बिहार, पटना को उपलब्ध कराई जायेगी।

165

5. स्वीकृत राशि 14.07 लाख रू0 (चौदह लाख सात हजार रू0) मात्र की निकासी योजना मांग संख्या- 48 मुख्यशीर्ष-3475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें -उप मुख्यशीर्ष-00-लघुशीर्ष-796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष- 0202- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, विपत्र कोड-P3475007960202, PFMS कोड-9162-विषय शीर्ष-31 06-सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा वित्तीय वर्ष 2016-17 के तृतीय अनुपूरक में उपबंधित राशि 15.00 लाख रू0 (पन्द्रह लाख रू0) मात्र से विकलनीय होगी।
6. राशि की निकासी किसी भी स्थिति में ए0सी0 विपत्र पर नहीं किया जायेगा। चूंकि यह राशि शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान है इसलिए राशि की निकासी (BTC) के नियम 270 TC फॉर्म 42 पर किया जायेगा। राशि की निकासी करते समय विपत्र पर विपत्र कोड अनिवार्य रूप से अंकित किया जायेगा। ये सभी योजनाएँ नई हैं, इसलिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर सभी संबंधित को उपलब्ध कराया जायेगा।
7. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को पुस्तकों एवं रजिस्ट्रों को देखने एवं जांच पड़ताल करने का अधिकार होगा।
8. राशि का व्यय NULM शहरों में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन पर किया जायेगा।
9. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार, प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग का अनुमोदन संचिका के पृ0 सं0-56 / टि0 पर दिनांक-23.03.17 को प्राप्त है।
10. प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका के पृ0 सं0-56/टि0 पर दिनांक-<sup>22.03.17</sup> को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(जय प्रकाश मंडल)

सरकार के विशेष सचिव,  
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक:-04/NULM-05/15- 272 / न० वि० एवं आ० वि०, पटना, दिनांक:-23-3-17

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक:-04/NULM-05/15- 272 / न० वि० एवं आ० वि०, पटना, दिनांक:-23-3-17

प्रतिलिपि:-वित्त विभाग (बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार, पटना/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/उप निदेशक, बिहार शहरी विकास अभिकरण, नगर विकास एवं आवास विभाग/लेखापाल, नगर विकास एवं आवास विभाग (दो प्रतियों में)/बजट शाखा-02, नगर विकास एवं आवास विभाग/विकास आयुक्त, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव,/सभी संबंधित DAY-NULM नगर निकाय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।

पत्रांक-04/NULM-05/15- 12 /न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार  
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,  
सरकार के विशेष सचिव,  
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,  
नगर विकास एवं आवास विभाग

पटना, दिनांक-31/5/17

विषय:-

दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) हेतु जनजातिय क्षेत्र उपयोजना मद में केन्द्रांश की विमुक्त राशि 14.07 लाख रू० (चौदह लाख सात हजार रू०) मात्र की अनुपातिक राज्यांश की राशि रू० 9.38 लाख (नौ लाख अड़तीस हजार रू०) मात्र सहायक अनुदान का वित्तीय वर्ष 2017-18 में आवंटन की स्वीकृति।

स्वीकृत्यादेश सं०-11 दिनांक-31/5/17 के अलोक में दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) योजना के अधीन वित्तीय वर्ष 2016-17 में आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र F.No.G-24011/11/2016-UPA-I/16752 दिनांक-13.12.16 के द्वारा जनजातिय क्षेत्र उपयोजना मद में केन्द्रांश की विमुक्त राशि 14.07 लाख रू० (चौदह लाख सात हजार रू०) मात्र के अनुपातिक राज्यांश की राशि रू० 9.38 लाख (नौ लाख अड़तीस हजार रू०) की निकासी सहायक अनुदान के रूप में वित्तीय वर्ष 2016-17 में किया जाना था परंतु उपबंध के अभाव में इस राशि की निकासी नहीं किया जा सका। वित्तीय वर्ष 2017-18 में बजट उपबंध प्राप्त है। अतः अनुपातिक राज्यांश की राशि रू० 9.38 लाख की आवंटन की स्वीकृति दी जाती है।

2. स्वीकृत राशि रू० 9.38 लाख (नौ लाख अड़तीस हजार रू०) मात्र की निकासी के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना होंगे। उक्त राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561, दिनांक-17.04.98, ज्ञापांक-5193 दिनांक-28.06.16 एवं पत्रांक-428 दिनांक-31.03.17 में निहित अनुदेशों के आलोक में सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना से चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में एक मुश्त की जाएगी। राशि की निकासी कर राशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा), पटना को उपलब्ध करा दी जाएगी। उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु संबंधितों को राशि बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा), पटना द्वारा RTGS/चेक के माध्यम से उपलब्ध करायी जाएगी।
3. वित्त विभाग के परिपत्र सं०-7355 वि० (2), दिनांक-05.10.97 में निहित अनुदेश के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना का प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
4. आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में विभाग द्वारा महालेखाकार, बिहार, पटना को उपलब्ध कराई जायेगी।



5. स्वीकृत राशि रू0 9.38 लाख (नौ लाख अड़तीस हजार रू0) मात्र की निकासी वित्तीय वर्ष 2017-18 में योजना मांग संख्या-48 मुख्यशीर्ष-3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें-उप मुख्यशीर्ष-00-लघुशीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष- 0302- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, विपत्र कोड-48-3475007960302, PFMS कोड-9162-विषय शीर्ष-31-सहायता अनुदान -0302.31.06 सहायक अनुदान गैर वेतन में उपबंधित राशि 90.00 लाख रू0 (नब्बे लाख रू0) मात्र में से की जायेगी।
6. राशि की निकासी किसी भी स्थिति में ए0सी0 विपत्र पर नहीं किया जायेगा। चूंकि यह राशि शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान है इसलिए राशि की निकासी (BTC) के नियम 270 TC फॉर्म 42 पर किया जायेगा। राशि की निकासी करते समय विपत्र पर विपत्र कोड अनिवार्य रूप से अंकित किया जायेगा। संबंधित से उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर सभी संबंधित को उपलब्ध कराया जायेगा।
7. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को पुस्तकों एवं रजिस्ट्रों को देखने एवं जांच पड़ताल करने का अधिकार होगा।
8. राशि का व्यय DAY-NULM शहरों में दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन पर किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

*(Handwritten Signature)*  
31.5.17

(जय प्रकाश मंडल)  
सरकार के विशेष सचिव,  
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक:-04/NULM-05/15-

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

12

/ न० वि० एवं आ० वि०, पटना, दिनांक:-31/5/17

*(Handwritten Signature)*  
31.5.17

सरकार के विशेष सचिव,  
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक:-04/NULM-05/15-

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार, पटना/उप निदेशक, बिहार शहरी विकास अभिकरण, नगर विकास एवं आवास विभाग/लेखापाल, नगर विकास एवं आवास विभाग (दो प्रतियों में)/बजट शाखा-02, नगर विकास एवं आवास विभाग/विकास आयुक्त, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/सभी संबंधित DAY-NULM नगर निकाय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

12

/ न० वि० एवं आ० वि०, पटना, दिनांक:-31/5/17

*(Handwritten Signature)*  
31.5.17

सरकार के विशेष सचिव।

*(Handwritten Mark)*

*(Handwritten Mark)*

बिहार सरकार  
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,  
सरकार के विशेष सचिव,  
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार,  
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक- 31/05/17

**विषय:-** दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) हेतु जनजातिय क्षेत्र उपयोजना मद में केन्द्रांश की विमुक्त राशि 14.07 लाख रू0 (चौदह लाख सात हजार रू0) मात्र की अनुपातिक राज्यांश की राशि रू0 9.38 लाख (नौ लाख अड़तीस हजार रू0) मात्र सहायक अनुदान का वित्तीय वर्ष 2017-18 में निकासी की स्वीकृति।

**आदेश:-**स्वीकृत।

दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) योजना के अधीन वित्तीय वर्ष 2016-17 में आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र F.No.G-24011/11/2016-UPA-I/16752 दिनांक-13.12.16 के द्वारा जनजातिय क्षेत्र उपयोजना मद में केन्द्रांश की विमुक्त राशि 14.07 लाख रू0 (चौदह लाख सात हजार रू0) मात्र के अनुपातिक राज्यांश की राशि रू0 9.38 लाख (नौ लाख अड़तीस हजार रू0) की निकासी सहायक अनुदान के रूप में वित्तीय वर्ष 2016-17 में किया जाना था परंतु उपबंध के अभाव में इस राशि की निकासी नहीं किया जा सका। वित्तीय वर्ष 2017-18 में बजट उपबंध प्राप्त है। अतः अनुपातिक राज्यांश की राशि रू0 9.38 लाख की निकासी की स्वीकृति दी जाती है।

- स्वीकृत राशि रू0 9.38 लाख (नौ लाख अड़तीस हजार रू0) मात्र की निकासी के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना होंगे। उक्त राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं0-2561, दिनांक-17.04.98, ज्ञापांक-5193 दिनांक-28.06.16 एवं पत्रांक-428 दिनांक-31.03.17 में निहित अनुदेशों के आलोक में सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना से चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में एक मुश्त की जाएगी। राशि की निकासी कर राशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा), पटना को उपलब्ध करा दी जाएगी। उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु संबंधितों को राशि बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा), पटना द्वारा RTGS/चेक के माध्यम से उपलब्ध करायी जाएगी।
- वित्त विभाग के परिपत्र सं0-7355 वि0 (2), दिनांक-05.10.97 में निहित अनुदेश के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना का प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

191

4. आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में विभाग द्वारा महालेखाकार, बिहार, पटना को उपलब्ध कराई जायेगी।
5. स्वीकृत राशि रू0 9.38 लाख (नौ लाख अड़तीस हजार रू0) मात्र की निकासी वित्तीय वर्ष 2017-18 में योजना मांग संख्या-48 मुख्यशीर्ष-3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें-उप मुख्यशीर्ष-00-लघुशीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष- 0302- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, विपत्र कोड-48-3475007960302, PFMS कोड-9162-विषय शीर्ष-31-सहायता अनुदान -0302.31.06 सहायक अनुदान गैर वेतन में उपबंधित राशि 90.00 लाख रू0 (नब्बे लाख रू0) मात्र में से की जायेगी।
6. राशि की निकासी किसी भी स्थिति में ए0सी0 विपत्र पर नहीं किया जायेगा। चूंकि यह राशि शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान है इसलिए राशि की निकासी (BTC) के नियम 270 TC फॉर्म 42 पर किया जायेगा। राशि की निकासी करते समय विपत्र पर विपत्र कोड अनिवार्य रूप से अंकित किया जायेगा। संबंधित से उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर सभी संबंधित को उपलब्ध कराया जायेगा।
7. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को पुस्तकों एवं रजिस्ट्रों को देखने एवं जांच पड़ताल करने का अधिकार होगा।
8. राशि का व्यय DAY-NULM शहरों में दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन पर किया जायेगा।
9. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार, प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग का अनुमोदन संचिका के पृ0 सं0- 60/टि0 पर दिनांक-30/05/2017 को प्राप्त है।
10. प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका के पृ0 सं0-60/टि0 पर दिनांक-25/05/2017 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

*(Handwritten Signature)*

(जय प्रकाश मंडल)

सरकार के विशेष सचिव,  
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक:-04/NULM-05/15- 11

/ न० वि० एवं आ० वि०, पटना, दिनांक:- 31/05/17

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

*(Handwritten Signature)*

सरकार के विशेष सचिव,  
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक:-04/NULM-05/15- 11

/ न० वि० एवं आ० वि०, पटना, दिनांक:- 31/05/17

प्रतिलिपि:-वित्त विभाग (बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार, पटना/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/उप निदेशक, बिहार शहरी विकास अभिकरण, नगर विकास एवं आवास विभाग/लेखापाल, नगर विकास एवं आवास विभाग (दो प्रतियों में)/बजट शाखा-02, नगर विकास एवं आवास विभाग/विकास आयुक्त, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/सभी संबंधित DAY-NULM नगर निकाय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

*(Handwritten Signature)*

सरकार के विशेष सचिव।